बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्र सं0– वि.प्रा. (III) यो.– 25/ 2016–   /पटना, दिनांक

सेवा में,
महालेखाकार (ले0 एवं हक0),बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग,पटना

विषय– विभागान्तर्गत नवस्वीकृत 6 (छः) अभियंत्रण महाविद्यालयों में वर्ष 2016–17 से सत्रारंभ हेतु स्वीकृत कम्प्यूटर सिस्टम में से 30 कम्प्यूटर सिस्टम में प्रति संस्थान रू. 3,25,000=00 (तीन लाख पच्चीस हजार रूपये) मात्र की लागत से Language Lab. सॉफ्टवेयर के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु कुल रू. 19,50,000=00 (उन्नीस लाख पचास हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 में राशि संबंधित संस्थान/मेंटर संस्थान को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश-- स्वीकृत।

राज्य सरकार ने नवस्वीकृत 6 (छः) अभियंत्रण महाविद्यालयों यथा बख्तियारपुर अभियंत्रण महाविद्यालय बख्तियारपुर, शेरशाह अभियंत्रण महाविद्यालय सासाराम, कटिहार अभियंत्रण महाविद्यालय कटिहार, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर अभियंत्रण महाविद्यालय बेगुसराय, सीतामढ़ी इंस्टीच्यूट ऑफ टेकनोलॉजी सीतामढ़ी एवं बी. पी. मंडल अभियंत्रण महाविद्यालय मधेपुरा में वर्ष 2016–17 से सत्रारंभ हेतु स्वीकृत कम्प्यूटर सिस्टम में से 30 कम्प्यूटर सिस्टम में प्रति संस्थान रू. 3,25,000=00 (तीन लाख पच्चीस हजार रूपये) मात्र की लागत से Language Lab. सॉफ्टवेयर के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु कुल रू. 19,50,000=00 (उन्नीस लाख पचास हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 में राशि संबंधित संस्थान/मेंटर संस्थान को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2015–16 में आयोजना बजट के "मुख्य शीर्ष–4202 –शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष –02–तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष–105 –इंजीनियरिंग/ तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, मांग संख्या–43, उपशीर्ष–0102–पोलिटेकनिक/ इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय" के अधीन 52 01 मशीनें एवं उपस्कर विषयशीर्ष में तृतीय अनुपूरक के माध्यम से उपबंधित राशि से विकलनीय होगा जिसका विपत्र कोड– पी 4202021050102 है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित संस्थान/मेंटर संस्थान के प्राचार्य होगें।

4. इस राशि की निकासी राजकीय कोषागार, बाढ़ (पटना)/गया/भागलपुर/बेगुसराय/मुजफ्फरपुर /छपरा से की जायेगी।

5. उक्त राशि से सामग्रियों के क्रय हेतु बिहार (वित्त) संशोधित नियमावली–2005 का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा तथा सभी प्रक्रियाओं का विधिवत पालन कर क्रय किया जायेगा।

6. संबंधित संस्थानों के प्राचार्य, सॉफ्टवेयर के अधिष्ठापन संबंधी प्रतिवेदन वर्त्तमान वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

7. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2015–16 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

8. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 96 वि(2), दिनांक 03.01.2008 के आलोक में सक्षम प्राधिकार से अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

9. वित्त विभाग के पत्रांक– 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह./ –
(ओम प्रकाश राय)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (III) यो॰– 25/ 2016– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (III) यो॰– 25/ 2016– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, राजकीय कोषागार, बाढ़ (पटना)/गया/भागलपुर/बेगुसराय/मुजफ्फरपुर/छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (III) यो॰– 25/ 2016– 798 /पटना, दिनांक– 16.3.016

प्रतिलिपिः– प्राचार्य, बख्तियारपुर अभियंत्रण महाविद्यालय बख्तियारपुर/शेरशाह अभियंत्रण महाविद्यालय सासाराम/कटिहार अभियंत्रण महाविद्यालय कटिहार/राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर अभियंत्रण महाविद्यालय बेगुसराय/सीतामढ़ी इंस्टीच्यूट ऑफ टेकनोलॉजी सीतामढ़ी/वी॰ पी॰ मंडल अभियंत्रण महाविद्यालय मधेपुरा/लोकनायक जयप्रकाश प्रौद्योगिक संस्थान, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/16
सरकार के अपर सचिव

16/3/16